न्यायालय उपखण्ड अधिकारी देवगढ़ जिला राजसमन्द

पीठासीन अधिकारी : श्री मोहकम सिंह सिनसिनवार, आर.ए.एस.
(जीसीएमएस नं. 2024/87)

प्रकरण संख्याः–54/2024
तारीख दायरः– 17/05/2024
निर्णय दिनांकः–13/10/2025

उनवान

1. पोखरसिंह पिता गिरधारी जाति रावत निवासी सिरोदनिया तहसील देवगढ़, जिला राजसमन्द।

प्रार्थी।

बनाम

1. धर्मचन्द्र पिता रोडमल जाति कलाल निवासी ग्राम कालागुन, तहसील देवगढ़, जिला राजसमन्द।
2. श्रवणकुमार पिता रोडमल जाति कलाल निवासी ग्राम कालागुन, तहसील देवगढ़, जिला राजसमन्द।
3. मोहनसिंह पिता पूनमसिंह जाति रावत निवासी ग्राम तारागढ़ तहसील ब्यावर जिला ब्यावर।
4. राज्य सरकार जरिये प्रतिनिधि तहसीलदार देवगढ़, तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द।

अप्रार्थीगण

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 राज. भू0 राजस्व अधिनियम 1956

:: निर्णय ::

प्रार्थी की ओर से प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 राज0 भू0 राजस्व अधिनियम 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम ताल पटवार सर्कल ताल तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द में खाता संख्या 91 खसरा संख्या 1039/2 कुल किता 01 कुल रकबा 0.4320 हैक्टेयर प्रार्थी की खातेदारी, कब्जेशुदा भूमि स्थित है। प्रार्थी की जमीन के समीप अप्रार्थीगण की जमीन होकर मौके पर मिली हुई है। जिससे फसल बुवाई के समय विवाद होता रहता है। उक्त आराजियात की पत्थरगढ़ी हेतु प्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया है।

प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र इस न्यायालय में दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 01 एवं 02 की ओर से अधिवक्ता अप्रार्थी द्वारा जवाब प्रस्तुत किया गया जो शामिल पत्रावली किया गया। अप्रार्थी अधिवक्ता 03 द्वारा जवाब प्रस्तुत करने हेतु पर्याप्त अवसर देने के बावजूद जवाब प्रस्तुत नहीं करने से अप्रार्थी संख्या 03 का जवाब बन्द करने के आदेश दिए गए।

उपखण्ड अधिकारी, देवगढ़ जिला–राजसमन्द (राज.)

उपखण्ड अधिकारी, देवगढ
जिला–राजसमन्द (राज.)

उभयपक्ष की बहस सुनी गई। अधिवक्ता अप्रार्थी द्वारा मौके पर कब्जे अनुसार राजस्व नक्शा ट्रेस गलत होने से पत्थरगढ़ी नहीं करने का निवेदन किया। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया गया कि यदि उक्त खसरों के संबंध में राजस्व रिकॉर्ड में अशुद्धि/त्रुटि है तो समक्ष न्यायालय के समक्ष वाद प्रस्तुत कर राहत प्राप्त की जा सकती है। प्रार्थी अधिवक्ता ने प्रार्थना–पत्र अनुसार पत्थरगढ़ी की जाने हेतु निवेदन किया गया।

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। पत्थरगढ़ी वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड एवं नक्शा ट्रेस अनुसार की जाती है। पत्थरगढ़ी द्वारा किसी प्रकार का कब्जा सूपुर्द नहीं किया जाता है। वैसे भी विधि में प्रत्येक खातेदार को अपनी भूमि को सीमाज्ञान/पत्थरगढ़ी कराये जाने का अधिकार निहित कर रखा है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है।

–:आदेश:–

प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिये जाते हैं कि ग्राम ताल पटवार सर्कल ताल तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द में खाता संख्या 91 खसरा संख्या 1039/2 कुल किता 01 कुल रकबा 0.4320 हैक्टेयर भूमि की पत्थरगढ़ी कराये जाने हेतु तहसीलदार देवगढ़ को आदेशित किया जाता है कि पत्थरगढ़ी से पूर्व उभयपक्षों (खातेदारान् एवं विपक्षीगण/पडौसी खातेदारान्) को पूर्व में ही तिथि एवं समय निर्धारण संबंधी सूचना पत्र जारी किया जावे। न्यायालय में कोई वाद विचाराधीन अथवा स्थगन आदेश प्रभावी नहीं होने की शर्त पर पत्थरगढ़ी/सीमांकन की कार्यवाही की जावें। **पत्थरगढ़ी आदेश को कब्जा सूपूर्दगी आदेश नहीं समझा जावें। वक्त सीमांकन प्रार्थी अपनी भूमि पर सीमाचिन्ह स्वयं के खर्चे पर स्थापित करे।** पालना हेतु तहसीलदार देवगढ़ को लिखा जावे पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

13/10/25

(मोहकम सिंह सिनसिनवार R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी, देवगढ़
जिला राजसमन्द

उपखण्ड अधिकारी, देवगढ़ जिला–राजसमन्द (राज.)